#[2024/55] Gcms (5)

खारिज
9.4.2024

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़

प्रियंका आदि बनाम कृष्णलाल आदि

मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 45 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
02.04. 2024	प्रार्थीगण प्रियंका आदि की तरफ से वकील श्री अनिल सिहाग ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण को एक पक्षीय सुना गया। प्रार्थीगण के वकील को एक पक्षीय सुनने एवं प्रस्तुत शपथ पत्र तथा संलग्न दस्तावेज के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि रोही मौजा पूरबसर के खाता सं. 389 के ख.नं. 880 की 0.278 है., 882 की 0.341 है., 883 की 0.038 है., 933 की 0.645 है. कुल 1.302 है. में से 1/2 हिस्सा, पूरबसर के खाता सं. 390 के ख.नं. 735/1 की 1.644 है., 739/1 की 1.391 है., 840 की 0.253 है., 841 की 0.303 है., 847 की 0.872 है., 848 की 0.632 है., 878 की 0.632 है., 879 की 5.819 है. , 994 की 1.935 है., 995 की 0.075 है., 996 की 1.808 है. कुल 15.769 है. भूमि जो वर्तमान में मृतक सलाराम पुत्र रावताराम के नाम दर्ज है, कि अप्रार्थीगण रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। यह निषेधाज्ञा रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण को साधारण डाक के साथ–साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 29.04.2024 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	
9.4.2024	वकील वादिया ने प्रार्थना-पत्र मिसल पेशी पेश करने पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। वकील वादिया ने निवेदन किया कि प्रार्थना-पत्र 212 अस्थाई निषेधाज्ञा आगे नहीं चलाना चाहते है, मौजूदा रिकार्ड में खारिज करवाना चाहते है। अतः प्रार्थना-पत्र धारा अस्थाई [illegible] मौजूदा रिकार्ड में खारिज किया जाकर [illegible] से कम की जाकर बाद तकमील [illegible] जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	Not PRESS Kiya [signature] 9/4/2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.05.09 14:43:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner